चित्रकूट-पुलिस

(1).

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि

आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 15.11.2025 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्साधिकारी श्री डॉ0 भूपेन्द्र द्विवेदी उपस्थिति में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार राजापुर में किया गया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है उसका रजिस्टर में भी उल्लेख होना चाहिए और सम्बन्धित व्यक्ति को भी अवगत कराये की आपकी समस्या का समाधान हो गया है। जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने भूमि सम्बन्धित मामलों पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से कहा कि राजस्व, चकबंदी एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि संबंधी मामलों को प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाये।

इस दौरान उपजिलाधिकारी राजापुर श्री फूलचन्द्र यादव, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल, प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह,थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं राजस्व,पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

(3). आज दिनाँक 14.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा की उपस्थिति में थाना कोतवाली कर्वी में सर्किल कर्वी (थाना कोतवाली कर्वी, थाना भरतकूप, थाना बहिलपुरवा ,महिला थाना) के समस्त विवेचकों का अर्दली रुम किया गया । अर्दली रुम के समस्त विवेचकों से प्रत्येक विवेचना पर विस्तारपूर्वक वार्ता करते हुए विवेचना लंबित रखने का कारण पूछकर गुण दोष के आधार पर विवेचना के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। आईजीआरएस एवं मुलाकाती शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

अर्दली रुम के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल, प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेंद्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री कौशल सिंह एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 15.11.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1835/08 धारा 379,411,401 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. अम्पू बखार पुत्र अरुण कुमार 2. बृजेश कुमार पुत्र जयकरन 3.सत्येन्द्र कुमार पुत्र रामबली 4. विक्रम पुत्र जयकरन 5. दन्तु बखार पुत्र अरुण कुमार 6.आलोक कुमार पुत्र सत्यनारायण निवासीगण सुरजीपुर थाना शहर कोतवाली जनपद हरदोई चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व प्रत्येक को कुल 9000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

वादी उ0नि0 श्री हरिशरण सिंह द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों द्वारा उनकी साइकिल व 4000 रुपये चोरी कर लेना। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 1835/08 धारा 379,411,401 भादवि0 अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्कालीन उ0नि0 श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा विवेचना सम्पादित की गयी। दिनाँक 11.05.08 को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिनाँक 02.06.08 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 15.11.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत एनसीआर 168/2011 धारा 323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजकुमार शुक्ल स्व0 श्रीरामऔतार 2. राधेरमण शुक्ल पुत्र रामऔतार 3.अनिल उर्फ भीषम शुक्ल पुत्र राजकुमार 4.श्याम सुन्दर शुक्ल पुत्र राजकुमार निवासीगण खजुरिहा खुर्द थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(6) दिनाँक-15.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी। अपराध समीक्षा गोष्ठी में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी थाना,चौकी/शाखा प्रभारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

🔴 अपराध समीक्षा गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये:- 🔴

(i). भादवि0 के अपराध तीन वर्षीय तुलनात्मक मासिक/प्रगतिशील विवेचना के साथ शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
(ii). अधिनियम के तीन वर्षीय तुलनात्मक विवेचनाओं से सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
(iii). प्रचलित अभियानो के सम्वन्ध मे चर्चा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
(IV). 03 माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
(V) हिस्ट्रीशीट खोलने/नष्ट करने हेतु निर्देशित किया।
(VI) भारी संख्या मे लंबित आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में एक सप्ताह के अंदर दाखिल करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।
(VII). गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्य़वाही करने हेतु निर्देश।
(VIII). हत्या/लूट/चोरी/नकबजनी के अनावरण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।
(IX). 07 वर्षो से अधिक सजा के अभियोगों के कार्यवाही के शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।
(x). 363, 366 भादवि0/137(2), 87 बीएनएस के बरामदगी हेतु शेष लम्बित अभियोगों के निस्तारण करने हेतु निर्देश।
(xi). एनसीआर व एफआईआर के आरोप पत्र/अंतिम पत्र दाखिला सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।
(xii). आईटीएसएसओ पोर्टल पर प्रदर्शित लम्बित अभियोगों के निस्तारण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।
(xiii). थाना स्थानीय पर लंम्बित चरित्र सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
(xiv). दर्पण डैसबोर्ड की रैकिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xv). माल निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।
(xvi). सड़क दुर्घटना से सम्वन्धित पुलिस फार्म FAR, IAR, DAR के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
(xvii)क्राइम अगेस्ट वुमेन पोर्टल में लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री यामीन अहमद एवं समस्त थाना,चौकी/शाखा प्रभारी उपस्थित रहे ।